

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या:- 05/स्था0 (डी0टी0ओ0)- 30/2013.....परि0, पटना, दिनांक:-.....

परिवहन विभाग के निम्नलिखित क्रमांक 1 से 5 तक के करारोपण पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ- 5 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है। साथ ही, क्रमांक 6 से 8 में अंकित जिला परिवहन पदाधिकारियों को स्तम्भ- 5 में अंकित जिला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5
1	श्री दिवाकर झा	सहरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर
2	श्री निरंजन कुमार वर्णवाल	गया	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
3	श्री जय प्रकाश नारायण	गाजीपुर (उ0प्र0)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा
4	श्री प्रभात कुमार	पटना	करारोपण पदाधिकारी, बलथरी चेकपोस्ट, गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
5	श्री ब्रजेश कुमार	भोजपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा	जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद
6	श्री मनोज कुमार शाही	गोपालगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया	जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार
7	श्री चितरंजन प्रसाद	मधुबनी	जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार
8	श्री विरेन्द्र प्रसाद	नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान	जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर अपने नव पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 05/स्था0 (डी0टी0ओ0)- 30/2013 ^{31/03} पटना, दिनांक:- ^{30/6/16}

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/पटना/गया/सहरसा/सारण/पूर्णिमा; जिला पदाधिकारी, पटना, जहानाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, अररिया, शिवहर, सिवान, नवादा, बक्सर, मधेपुरा, किशनगंज एवं सीतामढ़ी; संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/सहरसा/गया/मुजफ्फरपुर/सारण/पूर्णिमा; उपर्युक्त सभी पदाधिकारी; माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव; प्रधान सचिव के आप्त सचिव; राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव; सभी विभागीय पदाधिकारी; सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक तथा प्रभारी सहायक, स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.6.16

अवर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।